

No.7-1/2019-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

SPEED POST.
VIA - MAIL

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated: 18.03.2019

To,
The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: **Uniform specifications of Wheat and Barley for Rabi Marketing Season (RMS) 2019-20.**

Sir,


I am directed to forward herewith Uniform specifications of Wheat and Barley for procurement under Central Pool during Rabi Marketing Season (RMS) 2019-20.

It is requested that the procurement of Wheat & Barley stocks by all procuring agencies be ensured strictly in accordance with the uniform specification. It is also requested that wide publicity of the Uniform Specifications and Minimum Support Price (MSP) be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The farmers may also be advised to offer only dry and clean stocks.

Receipt of this communication may please be acknowledged.

Encl: as above

Yours faithfully


18/03/2019

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23389625

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/ Director (Mov.)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical). NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

**UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES FOR RABI
MARKETING SEASON 2019-2020**

Wheat shall:

- a) be the dried mature grains of *Triticum vulgare*, *T. compactum*, *T. sphaerococcum*, *T. durum*, *T. aestivum* and *T. dicoccum*.
 - b) have natural size, shape, colour and lustre.
 - c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.
 - d) be in sound merchantable condition.
 - e) not have any admixture of *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter and any obnoxious, deleterious and toxic material.
- a) Conform to Food Safety and Standards Act/ Rules (formerly PFA).

Schedule showing the maximum permissible limits of different refractions in Fair Average Quality of Wheat.

Foreign Matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged grains %	Shriveled & Broken grains %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

NOTE:

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.
2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (*Vicia* species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.
3. Kernels with glumes will not be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.
4. Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exceed 0.05 %.
5. In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Rupee two per quintal may be charged as fumigation charges.

Contd/...

6. For weevilled grains determined by count, stocks containing weevilled grains in excess of 1% will be rejected. The rate of cut for weevilled grains will be @ Rs.2 per quintal.

Method of Analysis

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS:

As contained in BIS Specifications No. 2813-1995 and as amended from time to time.

=====

UNIFORM SPECIFICATION FOR BARLEY FOR RABI MARKETING SEASON 2019-2020

Barley shall:

- b) be the dried mature grains of *Hordeum vulgare*.
- c) have uniform size, shape and colour.
- d) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below.
- e).
- f) be in sound merchantable condition.
- g) not have any admixture of *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, pesticide and any obnoxious and toxic material.
- h) Conform to Food Safety and Standards Act / Rules (formerly PFA).

Schedule showing maximum permissible limits of different Refractions in Fair Average Quality of Barley:

Foreign matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged & touched grains %	Immature & Shrivelled grains %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

Note:

1. Within the overall limits of foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.5%, of which Dhatura and Akra (*Vicia* species) shall not be more than 0.025% and 0.2 % by weight respectively.
2. Moisture in excess of 12% and upto 14% is to be discounted at full value. Stocks containing moisture in excess of 14% are to be rejected.
3. For weevilled grains determined by count, stocks containing weevilled grains in excess of 1% will be rejected. The rate of cut for weevilled grains will be @ Rs.2 per quintal.
4. In case of stocks having live infestation, a cut at the rate of Re. 2/- per quintal may be charged as fumigation charges.

Method of Analysis:

As given in Bureau of Indian Standard No. IS. 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from time to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTIONS:

As contained in BIS Specifications No. 2813-1995 as amended from time to time.

=====

स्पीड पोस्ट
VIA-MAIL

संख्या 7-1/2019-एस. एंड आई.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: .03.2019

सेवा में,

सचिव,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,

.....सरकार (सभी राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन)

विषय: रबी विपणन मौसम 2019-20 के लिए गैहूं एवं जौ की एकसमान विनिर्दिष्टियां।

महोदय,

मुझे रबी विपणन मौसम 2019-20 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु गैहूं एवं जौ की एकसमान विनिर्दिष्टियों को इस पत्र के साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. सभी राज्य सरकारों क्षेत्र प्रशासनों येव भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी विपणन मौसम 2019-20 के दौरान गैहूं एवं जौ की खरीद एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कड़ाई से सुनिश्चित की जाए। आपसे अनुरोध है कि एकसमान विनिर्दिष्टियों तथा न्युन्तम मूल्य का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टॉक की अस्वीकृति से बचा जा सके। किसानों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि केवल शुष्क और साफ अनाज ही लाएं।

इस पत्र कि पावती बेजने कि कृपा करे।

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,
18/03/2019

(विश्वजीत हालदार)

उपाआयुक्त (एस. एंड आर.)

दूरभाष: 23389625

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
2. कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
3. कार्यकारी निदेशक (क्यूसी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
4. महा प्रबंधक (क्यूसी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
5. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
6. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम
7. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
9. सचिव(खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एसआरए एवं ईओपी)/संयुक्त सचिव(भंडारण)/ संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी)

cont...Next page

10. निदेशक (नीति)/निदेशक (एफसीआई)/ निदेशक (पीडी)/ निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (एस एंड आर)/उपायुक्त (एस एंड आर)
11. गुण नियंत्रण सैल/भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के सभी कार्यालय।
12. अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)/अवर सचिव (एफसी अकाउंट)
13. उप निदेशक (एस)/ उप निदेशक (क्यूसी)/ सहायक निदेशक (सीजीएएल)/ सहायक निदेशक (क्यूसी)
14. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।

रबी विपणन मौसम 2019-20 के लिए भारतीय गेहूं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियां गेहूं निम्नानुसार होगा:

- (क) जिसमें ट्राइटिकम वल्गर, टी. कॉम्पैक्टम, टी. स्फैरिओकोकोम, टी. डयूरम, टी. ऐस्टीवियुम और टी. डाइकोकोम के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।
- (ख) इनका आकार, बनावट, रंग और चमक प्राकृतिक हो।
- (ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, विषाक्त घास के बीजों सहित हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़ अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।
- (घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।
- (ङ) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ तथा खराब, हानिकर और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।
- (च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम / नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरूप हो।

गेहूं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिनियम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने %	सिकुड़े और टोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

टिप्पणी:

- 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यान्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.4 % से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाती) वजन के अनुसार क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
- भौतिक विश्लेषण के दौरान छिलके सहित दानों को खराब खाद्यान्न नहीं गिना जाएगा और छिलकों को निकाल दिया जाएगा और उन्हें जैविक विजातीय तत्व माना जाएगा।
- क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर एरगोट प्रभावित दाने 0.05% से अधिक नहीं होंगे।
- स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा।

6. गणना द्वारा निश्चित किए गये घुने हुए दानों में 1% से अधिक घुने हुए दानों वाले गेहूं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। घुने हुए दानों के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

विश्लेषण की पध्दति

घुन लगे दानों को छोड़कर जिन्हे गणना पध्दति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्ट संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

रबी विपणन मौसम 2019-20 के लिए भारतीय जों की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियां

जों निम्नानुसार होगा:

- (क) होर्डियम बल्गर के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।
(ख) इनका आकार, बनावट और रंग एक समान हो।
(ग) मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता हानिकर तत्वों के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड़ अन्य सभी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त हो।
(घ) अच्छी विपणीय अवस्था में हो।
(ङ) इसमें किसी भी रूप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ, कीटनाशी तथा कोई खराब और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।
(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम /नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरूप हो।

जों की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिनियम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यन्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़े क्षतिग्रस्त दाने और लगे हुए दाने %	अपरिपक्व और सिकुड़े दाने %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

टिप्पणी:

1. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.5 % से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाती) वजन के अनुसार क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होंगे।
2. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यन्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. गणना द्वारा निश्चित किए गये घुने हुए दानों में 1% से अधिक घुने हुए दानों वाले जों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। घुने हुए दानों के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।
4. स्टॉक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रथम प्रभार के रूप में वसूल किया जाएगा।

विश्लेषण की पध्दति

घुन लगे दानों को छोड़कर जिन्हे गणना पध्दति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्ट संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।
